भारतीय किसान संघ

प्रथम अखिल भारतीय अधिवेशन

बलराम नगर, कोटा

दिनांक ३ एवं ४ मार्च १९७९

उद्घाटन भाषण

श्री दत्तोपंत ठेंगडी

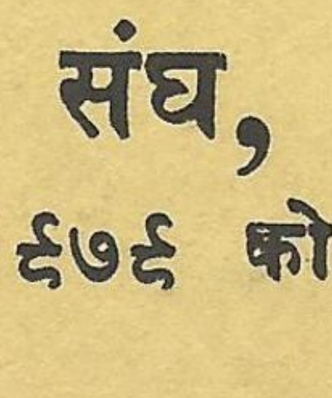

प्रकाशक

भारतीय किसान संघ, राजस्थान प्रदेश

(दिनांक, ३ मार्च १९७९ को दिया गया भाषण)

मान्यवर अध्यक्ष महोदय, तथा उपस्थित किसान प्रतिनिधि बंधुगण

आज का यह अवसर ऐतिहासिक महत्व का है क्यों कि आज देश की महान आवश्यकता की पूर्ति के लिए अखिल भारतीय स्तर पर किसान संगठन निर्माण करने का निश्चय लेकर आप सब प्रतिनिधि बन्धुगण ११ राज्यों से यहां एकत्रित हुये है ।

यह बात संतोष जनक है कि आपने "किसान" शब्द की परिभाषा संकीर्ण न करते हुये स्वयं खेती करने वाले एवं खेती पर अवलंबित सभी ग्रामीण जनों को इस शब्द की परिभाषा में समाविष्ट किया है । प्राचीन काल से हमारे देश में ग्रामको किसान, खेतोहर मजदूर तथा कारीगरों की सहकारी 'कॉमन-बेल्थ' माना गया है ।

आप का कार्य क्षेत्र अति विशाल है । सन १९७१ की अनगणना के अनुसार काश्तकारों (Cultivators) की संख्या ७ करोड़ ८१ लाख ७०हजार थी जिनमें लगभग १ करोड़ ५६ लाख बटाअीदार (Share Cropers) थे । खेतीहर मजदूरों की संख्या ४ करोड़ ७४ लाख ८० हजार थी । इनके अलावा देशी कारीगर तथा अन्य व्यवसायी मिलकर ग्रामीण विभाग का चित्र पूरा होता है । पिछले ८ सालों में इस संख्या में कुछ वृद्धि ही हुयी है ।

// किसानों की, याने कि ग्रामीण जनता की समस्यायें तथा आवश्यकताअें विभिन्न प्रकार की हैं । किन्तु उनको सुलझन तथा पूर्ति अबतक ठीक ढंग से नहीं हो पारही है । वैसे ती उनकी सहायता के लिये अबतक सरकार तथा अन्य माध्यमों के द्वारा कई प्रयास किये गये किंतु उनके कारण अबतक अपेक्षित राहत नहीं मिल सकी ।

// अंग्रेज सरकार के जमाने में ही यह बात ख्याल में आयी कि किसानों की सबसे बड़ी समस्या उनका कर्जा है । सन १९०१ में प्रस्तुत किये गये कार्य में फेमिन कमीशन (Famine Commission) की रिपोर्ट में साहुकारों की ज्यादातियों का वर्णन किया गया था । ग्रामीण ऋण (Credit) को दृष्टि से सहकारी संस्थाओं की उपयोगिता का अध्ययन करने हेतु अंग्रेग सरकार ने सन १८९७ में श्री फ्रेडरिक निकॉलसन को योरोप में भेजा था । इसी द्रष्टि से सन १९०४ का (को आपरेटिव क्रेडिट सो० एक्ट (Co-operative-Credit Societies Act) सन १९१२ का को आँप. अॅक्ट, सन १९१५ का मेकले गान कमेटी (Maclagon Committee) का प्रवृति है और सन १९२५ का (Bombay Co-operative Societies Act.) बोम्बे को आपरेटीव सो० एक्ट, महत्वपूर्ण है । सन १९२८ में रायल कमोशन ऑन अॅग्रीकल्चर ने अपना विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । सन १९२९ में पहली सेन्ट्रेल लॅण्ड मॉर्टगेज बैंक मद्रास में स्थापित हुयी । सन १९३५ में

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुयी तथा अँग्रिकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट का निर्माण किया गया जिसने अपनी रिपोर्ट सन १९३७ में प्रस्तुत की। सन १९४६ में को-आपरेटिव प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट आयी।

स्वातंत्रा प्राप्ति के पश्चात सन १९५४ में तथा सन १९६१ में नियुक्त किये गये रुरल सर्वे कमेटी तथा रुरल क्रेडिट रिव्हयु कमेटी की रिपोर्ट भी जानकारी की दृष्टि से बहुत उपयुक्त रही।

सन १९५५ की जुलाई में स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया की स्थापना हुयी।

नेशनल डेव्लपमेंट कौन्सिल का दि. ९-११-१९५८ का प्रस्ताव, मेहता कमेटी ऑन को-आपरेटिव क्रेडिट की मई १९६० की रिपोर्ट, सहकारी खेती पर निजलिंगप्पा वर्किंग ग्रुपकी जनवरी १९६० की रिपोर्ट, तकावी के बारे में बी. पी. पटेल कमेटी ने अगस्त १९६२ में पेश की हुयी रिपोर्ट, अगस्त १९६५ की मिर्धा कमेंटो की रिपोर्ट, सन १९६६ में दातवाला कमेटी की रिपोर्ट, जुलाई १९६३ में नियुक्त गाडगील कमेटी द्वारा प्रस्तुत हुयी रिपोर्ट आदि दस्तावेज इन्दिरा तानाशाही युग के पूर्व इस दिशा में किये गये अन्वेषणों में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। सहकारी क्षेत्र का उपयोग ग्रामीण जनता को राहत पहुँचाने के लिये हो इस दृष्टि से सरकार द्वारा अन्य भी कई समितियों का निर्माण किया गया। द्वितीय महायुद्ध के काल में ऋण (क्रेडिट) के अलावा अन्य कार्यो के लिये सहकार का उपयोग करने की प्रक्रिया तेजी से प्रारंभ हुयी। उपभोक्ता सहकार को द्वितीय महायुद्ध के तथा सन १९६२ के चीनी आक्रमण के समय और १९६६ में रुपये के अवमूल्यन के फलस्वरुप बढ़ावा मिला और ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ता सहकार का संयोग बड़े पैमाने पर सर्विस को-आपरेटिव के साथ किया गया। अन्य उद्देश्यों के लिये भी सहकारी सिद्धान्त का उपयोग किया गया। किन्तु इन सब प्रयासों के बावजूद अनुभव यही आया कि रूरल क्रेडिट सर्वे ने सन १९५४ में निकाला हुआ निम्न निष्कर्ष आज भी उतना हि सही है—"Co-operation has failed, but Co-operation must suceed"

सहयोग असफल हुआ पर सहयोग अवश्य सफल होना चाहिए।

इस क्षेत्र में का थोडा विस्तृत विवरण देने का कारण यह है कि इस क्षेत्र में अपयश के लिये जो बातें जिम्मेवार हैं वे ही किसान तथा ग्रामीण जनता के लिये बनायी गयी अन्य योजनाओं के अपयश के लिये भी जिम्मेदार है। जैसे सामुदायिक बिकास Community Development या बलवंतराय मेहता कमेटी द्वारा प्रस्तावित समिति तथा जिला पंचायत— न्याय पंचायत- पंचायत समिति तथा जिला परिषद की त्रिस्तरीय पंचायती राज योजना। प्रा. डी. जी. कर्वे के अनुसार सहकार तथा सामु-

दायिक विकास का मर्म अेक ही है। वही बात पंचायती राज के लिये लागू होती है। इस अपयश के गहराई में जाने से निम्न कारण ख्याल में आते है :

(१) स्वयं प्रेरणा का अभाव । (ये सारे उपक्रम सरकारी पहल के फलस्वरूप रहे ।)

(२) बाहर के शहरी लोगों का नेतृत्व।

(३) हर एक उपक्रमका राजनीतीकरण :

(४) ग्रामीण निहित स्वार्थ तथा नौकरशाही की सांठ गांठ।

यह बात सही है कि हमारी पंचवार्षिक योजनाओं में कृषि को योग्य प्राथमिकता नहीं दी गयी । भारी उद्योगों को औचित्य से अधिक प्राधान्य दिया गया। बेरोजगारी को दूर करने वाली श्रम प्रधान रचना तथा उसके लिये आवश्यक भारतीय टेकनालाजी विकास करने का प्रयास करने के बजाय पश्चिमका अंधानुकरण करते हुये पूंजी प्रधान रचना का विकास किया गया। लघु उद्योग, ग्रामोद्योग, कुटीरोद्योग, कृषि आधारीत उद्योगों को Processing units हाथ करघा उद्योग डेरी उद्योग, तथा वन--आधारित उद्योगों को उचित प्रोत्साहन नहीं दिया गया। तो भी जो उचित योजनायें बनायी गयी, कोषों का(funds) तथा कार्पोरेशन्स का निर्माण किया गया उनका भी अपेक्षित लाभ किसानों को नहीं मिल सका या वे नहीं उठा सके, यह सत्य भी आखों से ओझल नहीं किया जा सकता। अिस न्यून के लिये सबसे बड़ा कारण स्वयं प्रेरणा का अभाव यही रहा है। यहाँ तक कि हरित क्राँति के लिये उपलब्ध की गयी सरकारी सहायता भी छोटे किसानों तक नहीं पहुँच सकी। जागृति का और स्वयं प्रेरणा का अभाव यही इसके लिये जिम्मे-वार है।

यह तो सब जानते हैं कि— किसानों की छोटी तथा जायज मांगों की ओर भी सरकार ध्यान नहीं देती। किसान जो माल मार्केट में बेचता है उसकी सही कीमत उसको मिलनी चाहिये। सही कीमत याने क्या ? तो उसका उत्पादन का पूरा खर्चा एवं कुछ लाभाँश इतना पैसा। वह स्वयं और उसके परिवार के सदस्य खेती पर मेहनत करते हैं। अन्य किसी के खेत पर वे सब इसी तरह काम करते तो रोजी के रुप में उनको जितना पैसा मिलता उतना पैसा भी उत्पादन खर्चे में शामिल किया जाना चाहिये और उद्योगपतियों के लाभांश की सरकार जैसे चिन्ता करती है वैसे ही किसान के लाभांश की चिन्ता सरकार को करनी चाहिए। कहा जाता है कि इससे खेती के माल की कीमत बढ़ेगी, और शहर के लोग चिल्लाहट करेंगे। शहरवासियों की चिल्लाने की शक्ति

अधिक है, इसलिये सरकार उनकी चिन्ता अधिक करती रहती है। शहरों में गरीब मजदूर भी रहते हैं, वे भी हमारे भाई हैं, हम उनको परेशानी में डालना नहीं चाहते। किन्तु उनको राहत देने का उचित मार्ग यह नहीं कि किसानों को भूखा रखा जाय। सरकार कृषि की लागत in-puts की कीमत कम करवाये। खाद, बिजली, पानी, ट्रेक्टर, ट्राली, कीटाणुनाशक दवाइयां, आदि वस्तुयें उसे सस्ते में उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय बिजली का दर उद्योगपतियों के लिये कम और किसानों के लिये अधिक यह पक्षपात क्यों ? फिर, किसान जो माल बेचता है उसकी कीमतें आप जितनी मात्रा में कम करना चाहते हैं उतनी ही मात्रा में उन शहरी वस्तुओं की कीमतें आप किसानों के लिये कम क्यों नहीं करते जो कि वो शहर से खरीद कर अपने गांव में ले जाना चाहता है ? खेती माल की कीमतें और कारखाने के मैनीफेक्चर्ड माल की कीमतें दोनों में सामंजस्य होना चाहिये। वैसे ही पुराने कृषि ऋण से किसान को मुक्त करने को तथा नया कृषि ऋण उसे समय पर अविलम्ब पर्याप्त तथा सस्ते ब्याज दर में दिलाने की व्यवस्था क्यों नहीं हो पाती ?

ग्रामीण बेरोजगारी तथा अर्ध बेरोजगारी की ससस्या भीषण है। किन्तु उसको दूर करने का गम्भीर प्रयास अब तक नहीं किया गया। यहाँ तक कि इसमें बेरोजगारी की कुल संख्या कितनी है, यह आंकडा भी हम अब तक नहीं निकाल सके और इस दृष्टि से देश के कुछ स्रोतों रिसोर्सेस का सर्वेक्षण अब तक नहीं हुआ। रोग के सही निदान का ही जहां अभाव है वहां उचित उपाय योजना करना कैसे सम्भव हो सकता है ?

हमारे नये अर्थमन्त्री चौधरी चरणसिंहजी किसानों के समर्थक हैं, अनाज के साठे की स्थिति आज निराशा जनक नहीं रही, पिछले ३-४ साल निसर्ग की भी अवकृपा ज्यादा नहीं रही, पिछले दिनों में अुत्पादन वृद्धि की दर अच्छी रही, ये सारी बातें सही है। तो भी यह सत्य है कि अनाज के साठों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रमें भुखमरी वैसे ही हैं, स्वयंपूर्णता से हम काफी दूर हैं; और कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिये आवश्यक चीजों की कमी है या उनको विदेशों से ज्यादा कीमत देकर लाने की आवश्यकता सरकार को प्रतीत होती है। सत्तारूढ़ दल ने ४०% ग्रामीण कृषि विकास के लिए देने की तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार दिलाने वाले उपयुक्त उद्योगों का प्रारम्भ करने की घोषणा की थी। इस वर्ष के बजट में चौधरी साहब को पहले के कारण किसानों के लिए जो बातें प्राप्त हुई हैं उनके विषय में आप जिस सम्मेलन में चर्चा करने वाले हैं। किन्तु जिन सब बातों का अपेक्षित उपयोग छोटे तथा सीमान्त किसान

और खेतीहर मजदूरों के लिए होगा यह आशा करना अब तक के अनुभव के आधार पर कठिन है। हरित क्रांति का जिस तरह का परिणाम निकला उसी तरह का परिणाम इन सब योजनाओं का निकलेगा यह आशंका समर्थनीय है। जब तक किसानों में जागृति तथा संगठन नहीं, तब तक न तो उनकी स्वयं प्रेरणा जग सकती हैं, न ही वे स्वयं अपने को राजनैतिक नेता, निहित स्वार्थ तथा नौकरशाही द्वारा चलाए गए शोषण से बचा सकते हैं। निष्कर्ष यह है कि संगठन के अभाव में आत्मोद्धार करना किसानों के लिए असम्भव है। आत्मोद्धार की चावी संगठन में ही निहित है।

ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संगठन की दृष्टि से अब तक कोई भी प्रयास नहीं किया गया। सन १९३६ में कांग्रेस के नेतृत्व में अ. भा. किसान सभा की स्थापना की गयी। स्वामी सहजानन्द उसके प्रथम अखिल भारतीय प्रधान थे। यह संगठन कांग्रेस दल के अंग के नाते घोषित हो यह प्रयास लखनऊ कांग्रेस के समय पं० जवाहरलाल नेहरू आदि राजनैतिक नेताओं ने किया। किन्तु राष्ट्र निर्माता की भूमिका निर्वाह करने वाले पूज्य महात्माजी के विरोध के कारण बह प्रयास असफल रहा। अगस्त १९४२ में "भारत छोड़ो" आँदोलन के विषय में कम्युनिस्ट पार्टी ने विरोधी भूमिका लेने के पश्चात किसान सभा दुर्बल हुई, और अिस आन्दोलन में कांग्रेस के नेता कारागार में जाने के पश्चात कम्युनिस्टों ने किसान सभा पर कब्जा जमाया। कम्युनिस्ट पार्टी के दो हिस्से होने के पश्चात किसान सभा के भी दो हिस्से हो गये। जिस तरह अब दो किसान सभायें मैदान में है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट किसान सभा में किसानों के साथ-साथ खेतिहर मजदूर भी सदस्य के नाते हैं। वैसे उन्होंने खेतीहर मजदूरों की कुछ यूनियनें भी संगठित की है, किन्तु वे भी किसान सभा के झण्डे के नीचे ही काम करती है। सी. पी. आई. ने अपनी किसान सभा की सदस्यता किसानों के लिए रखली और खेतीहर मजदूरों के लिये 'भारतीय खेत मजदूर यूनियन' अिस संस्था का अलग से गठन किया। सी. पी. आई. की किसात सभा की सदस्य संख्या लगभग १० लाख और खेत मजदूर यूनियन की सदस्य संख्या ४ लाख थी ऐसा दावा सन १९७३ में उन्होंने किया था। अप्रेल १९७४ में सीकर में हुए २२ वें अधिवेशन में मार्क्सवादी किसान सभा के महामन्त्री ने अपनी १९७३ की सदस्य संख्या ११ लाख ७० हजार बतायी थी। मार्क्सबादी किसान सभा का घोषित सदस्यता का उच्यांक १९७१ में था, जब सदस्य संख्या १२ लाख ७० हजार बतायी गयी थी। काँग्रेस प्रभावित इण्टक से सम्बद्ध इन्डियन नेशनल रूरल लेबर फेडरेशन भी ग्रामीण क्षेत्र में है। सन १९७१ में उन्होंने दावा किया था कि उनकी फेडरेशन से सम्बद्ध ग्रामीण मजदूरों की १५ यूनियनें हैं जिनकी

सदस्य संख्या ४४५८ है और खेतीहर मजदूरों की ५१ यूनियनें हैं जिनकी सदस्य संख्या १५७६० है। आपातकाल की स्थिति में अिस फेडरेशन ने १ लाख से अधिक सदस्यता का दावा किया था।

अिन संस्थाओं के अलावा और भी कुछ संस्थायें कार्य कर रही हैं, किन्तु उनकी गम्भीरता से दखल लेने की आवश्यकता नहीं। स्व० श्री पंजाबराव देशमुख द्वारा निर्मित 'भारत कृषक समाज' तथा कुछ अन्य तत्सम संस्थाओं बड़े तथा उच्च-मध्यम किसानों को सुख सुविधाओं की व्यवस्था करती रही हैं। किन्तु संगठन के नाते उनका अस्तित्व नहीं के बराबर है। वैसे ही देश के कुछ विभागों में स्थानीय या विभागीय स्तर पर काम करने वाली कुछ संस्थायें हैं और यद्यपि उनमें से कुछ अपने नाम के पीछे 'अखिल भारतीय' यह विशेषण लगाते हैं तो भी वास्तव में उनका कार्यक्षेत्र स्थानीय या विभागीय ही हैं, और कार्य नित्य स्वरूप का न रहते हुये नेमेत्तिक-स्वरूप का हैं ही रहता है। जिसमें सन्देह नहीं कि संगठन कार्य में इनका भी कुछ योगदान है, किन्तु उसका महत्व अति सीमित है। क्योंकि वे न ही अखिल भारतीय, न ही नित्य कार्य करने वाली है। कुछ स्थानों पर 'हिन्द किसान पंचायत' अिस नाम से भी "साईन बोर्ड्स" हैं। किन्तु उनका अखिल भारतीय संगठन का ढांचा नहीं हैं, यद्यपि उनके दो-एक कार्यकर्ता विभागीय स्तर पर अच्छा काम करते हैं। वास्तव में वह उनका व्यक्तिगत कार्य है। समाजवादी दल के होने के कारण जिस नाम का वे उपभोग करते हैं। किन्तु संगठन के नाते हिन्द किसान पंचायत की दखल औचित्यहीन नहीं रहेगा।

इस तरह सभी संगठनों की मिलकर घोषित सदस्य संख्या ३० लाख से ज्यादा नही आती। जिससे पता चलता है कि किसान क्षेत्र में संगठन के लिये अवकाश तथा नये किसान संगठन की आवश्यकता कितनी है। इतना विस्तृत क्षेत्र अछूता पड़ा हुआ है कि और भी अधिक नयी संस्थाये गठित हुई तो उनका स्वागत ही करना चाहिये। सबका अन्तिम उद्देश्य यदि किसानों को सेवा यही है तो फिर आपसी स्पर्धा और असूया की आवश्यकता ही क्या है ? मेरा मुर्गा बांग देगा तब ही सूरज ने ऊपर आना चाहिए और मेरे मुर्गे ने बांग नहीं दी तो सूरज ने ऊपर नहीं आना चाहिये, ऐसा कहना बुद्धिमानी का तथा आंतरिकता का लक्षण नहीं होगा। विशुद्ध सेवा भाव से प्रेरित होने के कारण हमारा विचार यही है कि किसी के भी द्वारा किसानों का कल्याण होता है तो हम उसका स्वागत नहीं करेंगे, और किसान कल्याण के हेतु किसी के भी द्वारा किये गये रचनात्मक कार्य में या छेडे गये आन्दोलन में हम उचित सहयोग देने के लिये सदा ही सिद्ध रहेंगे। राष्ट्रहित के अन्तर्गत किसानों का हित यह विशुद्ध उद्देश्य लेकर हम काम कर रहे हैं। संस्थागत अहंकार से हम पीडित नहीं।

नव निर्मित 'किसान सम्मेलन' के विषय में यहां चर्चा नहीं की गयी। क्योंकि उसका स्पष्ट स्वरूप अब तक हमारे सामने उभर नहीं आया । प्रसिद्धि और बोलबाला बहुत होते हुये भी उसका संगठनात्मक ढाँचा दृष्टिपथ में नहीं आ रहा। यह स्वरूप स्पष्ट होने के पश्चात ही उसके विषय में कुछ कहना उचित होगा।

सरदार बल्लभाई पटेल के द्वारा बारडोली में चलाया गया किसान आन्दोलन तथा महात्माजी द्वारा संचालित नील मजदूरों का आन्दोलन हमारे इतिहास के शानदार अध्याय हैं, किन्तु संगठन के इतिहास में उनका समावेश नहीं होता। संथाल विद्रोह बंगाल का "तिभागा" आंदोलन तथा तेलंगाना का किसान मजदूर आंदोलन मूलतः स्थानीय किसान मजदूरों की स्वयं प्रेरणा से ही प्रारम्भ हुए थे। तेलंगाना तथा 'तिभागा' में आन्दोलन बढ़ने के बाद कम्युनिस्टों ने उसके साथ संगठन के नाते अपना सम्बंध जोड़ा था। अिनका भी समावेश संगठनात्मक इतिहास में नहीं हो सकता, यद्यपि आन्दोलन के नाते उनकी अपनी विशेषतायें हैं।

चीन प्रभावित रणनीति के परिणाम स्वरूप, नक्सलवादी, आन्ध्र तथा केरल के कुछ हिस्सों में चलायी गयी नक्लवादी गतिविधियाँ हम सब जानते हैं। आज यह सम्प्रदाय १२-१३ हिस्सों में बंटा हुआ है। उनके भी अपने कुछ आदर्श तथा सिद्धांत हैं, और हमसे मेल न खाने वाले होते हुए भी उनकी आदर्शवादिता के विषय में हमारे मन में सन्देह नहीं है। किन्तु उनका कार्य क्रांति के इतिहास का एक अध्याय हो सकता हैं किसान संगठन के इतिहास का नहीं।

संगठन की दृष्टि से अब तक की स्थिति संतोषजनक नहीं है, यह स्पष्ट है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट किसान सभा के महामन्त्री ने अपने २२ वें अधिवेशन में (दि० ११-१४ अप्रेल, १९७४) सेक्रेटेरियल रिपोर्ट में बताया :—

"In spite of some advance, the kisan movement, taking the country as a whole, remains weak and extremely uneven. In the context a deapening crisis and growing mass discontent, this lag in kisan movement is a serious weakness."

सी. पी. आई. की किसान सभा के महामंत्री भटिन्ड़ा में अपने २१ वे अ. भा. अधिवेशन में (सप्वेंबर १९७३) महामंत्री का प्रतिवेदन प्रस्तुत करते समय कहा :

Finally, this situation has revealed the utter inadequacy of the existing kisan sabha organisation to discharge the great political responsibility of leading and the countrywide diversified mass peasant movement for redical land

reforms as also the movement for an upsurge in agricvltural production so essential for lifting our agrarian economy out of the present crisis and putting it on the road to progress."

सी: पी आई. के भारतीय खेत मजदूर यूनियन के महामंत्री ने तेनाली में हुए अपने तृतीय अधिवेशन में (मई १९७४) अपने प्रतिवेदन में कहा .

"But despite this progress in the organisational sphere I should frankly state that there is an element of stagnation in our activities in regard to most of the state units. This is naturally causing much anxiety to us. The main reasons for these are (1) Shortage of cadres, (2) Lack of finance. In fact, it is these twin problems of cabre and finance which have become the real stumbling blocks in our advance. It is surprising that there are a number of states where not even a single wholetimer is functiong on the agricultural labour front either at the states where there are wholetimers allotted to this frunt, their maintenance has become a big problem due to lack of finance. This shortage of the finance affects the mobility and the effectiveness of the wholetimers.

इन्दुक की ग्रामीण मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष श्री बी. सी. भगवाती 'Rural workers' Problems and organisation' इसें अपनी पुस्तिका में लिखते हैं :

"It has been rightly felt that Congress should have a cadre, who have faith in socialist ideal and programmes of the Congress. The question now is how to buied up such a cadre."

ये सारे उद्धरन इस बात की ओर संकेत करते हैं कि किसान क्षेत्र के विभिन्न संगठनों के सम्मुख किस तरह की कठिनाइयां है पहले से काम करते आयी ये संस्थाएं अक्षम या अपर्याप्त है यह दिखाने का, 'आत्मस्तुति-परनिंदा का उद्देश्य नहीं । उनकी त्रुटियां तथा दुर्बलताएं हम सबकी त्रुटियां तथा दुर्बलताएं है। उनके प्रकश में विद्यमान संस्थाओं की सीमाओं तथा किसान क्षेत्र की विशालता को ध्यान में रखा तो नई किसान संस्था की आवश्यकता तथा उपयोगिता समझना आसान होगा। इस तरह की और भी नई संस्थाएं निर्माण

हुई तो उनका भी स्वागत ही करना चाहिये, और सब संस्थाओं ने परस्पर पूरक बनते हुए किसान तथा ग्रामीण जनता की उन्नति के हेतु संयुक्त प्रयास जारी रखने चाहिये।

कार्य सिद्धि की दृष्टि से आवश्यक है कि जनसंगठन राजनीतिक तथा राजनैतिक दलों से अलग स्वतंत्र रहे। जनसंगठन राजनैतिक दल का अंग बने यह सिद्धांत स्वीकार किया तो देश में जितने दल है उतने जन--सगठन हर क्षेत्र में निर्माण होंगे। यह बात एकता में बाधा डालने वाली है। फिर, कोई भी व्यक्ति एकही समय दो मालिकों को सेवा ईमानदारी से नहीं कर सकता। राजनैतिक दल यह एक मालिक और किसाम मजदूर दूंसरा। इस दृष्टि से भारतीय किसान संघ का गैर राजनैतिक स्तर पर रहते हुए काम करने का निर्णय स्वागत योग्य है। इसी से यह संगठन सही माने में प्रतिनिधिक बनेगा। सर्व व्यापी तथा शक्तिशाली बनेगा। इस तरह का स्वतन्त्र, गैर राजनैतिक, प्रतिनिधिक संगटन खड़ा करना यह देश की आज प्रमुख आवश्यकता है।

यहाँ 'संगठन' शब्द से मेरा अभिप्राय क्या है, यह स्पष्ट करना आवश्यक है। 'भारतीय किसान संघ' का संगठनात्मक ढांचा मजबूत करना इतना ही औपचारिक कार्य मुझे अभिप्रेत नहीं। वह तो आवश्यक है ही। वैसे ही इसी क्षेत्र में कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं का परस्पर सहयोग भी अभिप्रेत है। किन्तु इसके साथ-साथ और भी एक बात अभिप्रेत है। ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर तत्वों का शोषण करने वाले निहित स्वार्थी व्यक्तियों छोड़कर शेष सभी तत्वों को परम्परानुकूल बनाना, सम्पूर्ण गांव की समृद्धि में सबकी समृद्धि है यह साक्षातकार सबको कराना, परस्पर विवादों के अबसरों पर सामंजस्य से सुलझन निकालने की प्रवृति सबके मन में निर्माण करना, और सम्पूर्ण गांव याने एक सहकारी काँमन वेल्थ है, यह अनुभव सबको दिखाना, यह कार्य भी'संगठन' शब्द में अभिप्रेत है।

यह कार्य सिद्ध करने के लिये भगीरथ प्रयत्नों की आवश्यकता है। आज देश में चारों और विभेदकारी प्रवृतियां बढ़ती जा रही है। राजनैतिक महापुरुष अपने २ स्वार्थ के लिये उनको बढ़ावा दे रहे हैं। आर्थिक कारणों का उपयोग सामाजिक विभेद बढ़ाने के लिये किया जा रहा है। इस स्थिति में हमारे कार्यकर्ता स्वयं अपना मन व्यापक नहीं बनायेंगे तो बाकी लोगों को व्यक्तिवाद-जाति वाद के ऊपर ले जाना उनके लिये सम्भव नहीं होगा। सम्पूर्ण समाज, सम्पूर्ण राष्ट्र के साथ एकात्मता रखने वाले कार्यकर्ता ही यह कार्य कर सकते हैं। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता इसी मनः स्थिति को लेकर मैदान में लेकर आये है, यह मुझे विश्वास है। अपनी विशुद्ध राष्ट्रभक्ति के कारण आप यह कार्य सिद्ध करेंगे तो राष्ट्रीय एकात्मता तथा राष्ट्र निर्माण के कार्य में आपने

अति महत्वपूर्ण योगदान किया है, ऐसा इतिहास में लिखा जायेगा । इस तरह की स्वस्थ्य जागृति के लिये कितना भी त्याग करना पड़े, वह करने केलि ये हम सदा सिद्ध रहें, यही अपेक्षा है ।

जागृत, स्वयंप्रेरित तथा संगठित किसान--मजदूर ही सही माने में भारत का भाग्य विधाता है । उस अवस्था में राष्ट्र निर्माण हेतु बनने वाली योजनाएं नीचे से ऊपर तक--ग्रामों से दिल्ली तक जाएगी, दिल्ली में एअर-कण्डिशन्ड कमरों से नीचे ग्रामों तक नहीं आएगी । अब तक की पंचवार्षिक योजनाएं प्रमुख रुप से नगरोन्मुख तथा ग्रामविन्मुख, उद्योगोन्मुख तथा कृषि--विन्मुख रही है । यह दृश्य बदल जाएगा । योजना के बनाने में हम काफी सहभाग होने के कारण योजना के कार्यान्वयन के लिये ग्रामीण किसान-मजदूर को स्वयं स्फूर्ती से क्रियाशील रहेंगे । इससे देश का पूरा वायुमंडल बदल जाएगा । राष्ट्र निर्माण के वृहत प्रयास का सच्चे अर्थ में प्रारंभ होगा ।

यह मौलिक परिवर्तन देश में लाने के निश्चय से ही 'भारतीय किसान संघ' का निर्माण हो रहा है । और उसका श्री गणेश इस शुभ अवसर पर हो रहा है । इस महान राष्ट्रीय यज्ञ में भगवान सदाही हमारी सहायता करेगा, यह दृढ विश्वास धारण करते हुए मैं घोषित करता हूं कि भारतीय किसान संघ के प्रथम अधिवेशन का उद्घाटन हुआ है ।

"बन्दे मातरम्"

भारतीय किसान संघ

का

उद्देश्य

राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए भारत के किसानों का संगठन कर उसका सर्वांगीण विकास करने तथा उन्हें पूर्णतः स्वाबलम्बी बनाने हेतु उनकी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र में उन्नति करना।

आदर्श प्रिंटिंग प्रेस, रामपुरा बाजार, कोटा-६ फोन : ३४१५